न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती शिल्पा सिंह, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 24 / 2020

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1958

उनवान

1– प्रीतम कंवर पत्नी देवेन्द सिंह राजपूत निवासी ढीकोला तहसील शाहपुरा
2 – सुनिता पत्नी दिलीप सिह राजपूत निवासी ढीकोला तहसील शाहपुरा

प्रार्थीगण

बनाम

1 वरदू पिता कल्याण कुम्हार निवासी ढीकोला तहसील शाहपुरा
2– इस्लाम पिता सतार पठान निवासी ढीकोला तहसील शाहपुरा
3 जाकिर पिता बाबू पठान निवासी ढीकोला तहसील शाहपुरा
4 जगमलाल पिता कुंवर लाल सोडावत निवासी ढीकोला तहसील शाहपुरा

विपक्षीगण

उपस्थिति – **श्री कैलाश चन्द्र सुवालका**
अधिवक्ता प्रार्थीगण

–:: निर्णय ::–

दिनांक 12 / 01 / 21

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 [illegible] विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – प्रार्थीगण के **ग्राम ढीकोला** तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा में स्थित **आराजी नम्बर 3922 रकबा 0.10 है0, 3923 रकबा** 0.03 है0, **3924 रकबा 0.65 है0, 3933 रकबा 0.21 है0** कुल **किता 4** रकबा **0.99 है0** हैक्टेयर के प्रार्थीगण **संयुक्त** खातेदार **काश्तकार** है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण [illegible] आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। [illegible] पत्थरगढी करवाई जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण [illegible] सूचना उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी [illegible] हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम ढीकोला संवत 2076 से 2079** [illegible] अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् के प्रार्थीगण **संयुक्त खातेदार** दर्ज होकर [illegible] आराजीयात की **पत्थरगढी** कराना चाहते है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा **ढीकोला** में स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त **संयुक्त खातेदारी** की आराजीयात् **किता** 4 रकबा 0.99 **है0 हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद [illegible] हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढी **ऑफ सीजन** में किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढी हेतु कमिश्नर फीस 200/– रूपये कायम किये जाते है, जो प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। [illegible] तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12/01/21 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(शिल्पा सिंह IAS)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा)

प्रतिलिपि – तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.